न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/46/2021

रफीक पुत्र श्री शुभराती जाति मेव निवासी हयात का वास, बगड मेव, तहसील रामगढ, जिला अलवर जरिये मुख्त्यारआम रुजदार पुत्र नूरशाह जाति मेव निवासी वार्ड न. 2 भौरी, तहसील पहाडी जिला भरतपुर राज0

.....**प्रार्थी0**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत वाहन मिनी ट्रक ओपन बॉडी रजि. नं. RJ-02/GB-0992 वमुकदमे एफ.आई.आर. न. 61/2021 थाना कैथवाड़ा, भरतपुर अपराध अन्तर्गत धारा 5/8 आर.बी.ए. एक्ट.

उपस्थित :–
1–श्री सत्यप्रकाश कटारा अभिभाषक प्रार्थी,
2–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 28.6.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि वाहन मिनी ट्रक ओपन बॉडी रजि. नं. RJ-02/GB-0992 वमुकदमे एफ.आई.आर. न. 61/2021 थाना कैथवाड़ा, भरतपुर द्वारा जप्त किया गया है। उक्त वाहन पुलिस थाना पुलिस थाना कैथवाड़ा, भरतपुर जिला भरतपुर (राजस्थान) खुले में करीब 4 माह से खड़ा हुआ है, जिसके खुले में खड़े रहने से खराब होने की पूर्ण सभांवना है, पुलिस थाना को वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी रुजदार उक्त वाहन का मुख्त्यारआम है इसलिए उक्त वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी में लेने का पूर्ण हकदार है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार कर उक्त जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, पुलिस थाना कैथवाड़ा, जिला भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज कर, अप्रार्थी की तलबी की गई। थानाधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि थाना कैथवाड़ा भरतपुर ने एफआईआर नंबर 61/2021 अन्तर्गत धारा 5, 8 राजस्थान गौंवश अधिनियम में जप्त किया हुआ है। प्रार्थी का उक्त प्रकरण से कोई सबंध व सरोकार नहीं है। वाहन प्रार्थी के रोजगार का एक मात्र साधन है जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। योग्य अभिभाषक का यह भी कथन है कि थाना अधिकारी को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। जप्त थाने में खुले में खड़ा हुआ है जिसके खराब होने की पूरी सभांवना है। प्रार्थी उक्त वाहन का मुख्त्यारआम है इसलिए उक्त वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी में लेने का पूर्ण हकदार है। न्यायालय जो भी आदेश देगा प्रार्थी को स्वीकार होगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई।

पैराकार सरकार ए.पी.पी. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी वाहन का मालिक नहीं है। उक्त वाहन थाना कैंथवाड़ा जिला भरतपुर में एफआईआर नंबर 61/2021 अन्तर्गत धारा 5/8 राजस्थान गौंवश अधिनियम में जप्त किया हुआ है। उक्त वाहन प्रतिबन्धित गौवंश को राजस्थान से बाहर हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाये जाने पर अधिनियम की धारा 5/,8 में जप्त किया गया है। ए.पी.पी. ने राजस्थान गौवंशीयपशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) संशोधन अधनियम 2018 की धारा 6 व 6क में दिये गये प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि प्रार्थी को जप्त वाहन सुपुर्दगी में नही दिया जासकता है, उन्होने प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। थाना अधिकारी पुलिस थाना कैथवाड़ा जिला भरतपुर राज0 से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त वाहन गौवंश तस्करी परिवहन में लिप्त पाये जाने पर पुलिस थाना कैथवाड़ा जिला भरतपुर द्वारा गौवंश अधिनियम धारा 5/8 में मु0न0 61/2021 में जप्त किया हुआ है। राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी राज्य/स्थान को निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। गौवंशीय पशु को

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

जप्त वाहन से राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :–

> ".....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपंबधित है.....।"

इस प्रकार जप्त वाहन गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। हम ए.पी.पी. के तर्को से सहमत हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निणर्य प्रति पुलिस थानाधिकारी कैथवाड़ा, जिला भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर